भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 678

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

झारखंड में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार

678. श्री दुलू महतोः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण और रखरखाव कार्य सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)के मानकों/दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए जाते हैं। ऐसे विनिर्देशों और मानकों का पालन करते हुए कार्यों को निष्पादित करना ठेकेदार/रियायतग्राही की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार कार्य निष्पादित किए जाते हैं, परामर्शदाता (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /इसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा नियुक्त किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी यादृच्छिक आधार पर कार्यों की गुणवत्ता जांच भी करते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियां तृतीय पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त करती हैं। ऐसी जांच/निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार/पुनर्निर्माण/प्रतिस्थापन के लिए रियायतग्राही/ठेकेदार के ध्यान में लाया जाता है। उपरोक्त प्रक्रियाएं झारखंड सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू हैं।

गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है जिसका पालन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाता है। सरकार ने सड़क चिह्नांकन, संकेत, क्रैश बैरियर, उभरे हुए फुटपाथ मार्कर, रेखांकनों, अनधिकृत मध्य के खुले भाग को बंद करने, यातायात कम करने के उपाय आदि जैसे तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही सड़क ज्यामितीय में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे के स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास आदि के निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए या तो चल रहे विकास/रखरखाव कार्यों के हिस्से के रूप में या एकल परियोजनाओं के रूप में किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने डिजाइन, निर्माण, पूर्व-प्रारंभन और संचालन चरण में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पालन किया जाता है।

इसके आगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा समर्थन योजनाओं का भी संचालन करता है। सड़क सुरक्षा का समर्थन सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी की जाती है। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइवरों के उचित ड्राइविंग कौशल के लिए देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने की योजना भी चलाता है।

******